न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 82/2019 {RCMS 2019/00165}

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. पन्नी देवी पत्नी जयराम जाट निवासी नावां तहसील नावां जिला नागौर

दावा :— अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :— 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 44, 47, 490/195, 493/197, 494/198, 495/198, 496/197, 497/195 कुल रकबा 21.9610 हैक्टर में प्रतिवादी की अन्य सह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से 327/43922 हिस्सा दर्ज चला आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरान की भूमि मे खसरा नम्बर 493/197 रकबा 0.80 हैक्टर में बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के पानी का आर ओ प्लान्ट लगाकर निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का चितावा ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 11.07.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 19/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदु[illegible] विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में [illegible] कर दिया है अतः ग्राम दीपपुरा के उपरोक्त खसरा नम्बर 49[illegible] मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनॉक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादीगण को आवाजे

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 90 ए के तहत कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–2078 की प्रमाणित प्रति, एवं चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 497/197 रकबा 0.80 हैक्टर पर प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये पानी का आर.ओ.प्लान्ट लगाकर निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 44, 47, 490/195, 493/197, 494/198, 495/198, 496/197, 497/195 कुल रकबा 21.9610 हैक्टर में प्रतिवादी की अन्य सह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से 327/43922 हिस्सा भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आई, जमाबंदी नकल सम्वत 2075–78 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- दीपपुरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- दीपपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- पांचवा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 84
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 79

काश्तकार का नाम:-
1. अनिलकुमार पुत्र अन्नालाल हिस्सा- 915/21961 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
2. कमलकांत पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा- 494/21961 जाति- जाट सा.कुचामनसिटी खातेदार
3. कमलकांत बुगालीया पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा- 809/21961 जाति- जाट सा. कुचामनसिटी खातेदार
4. कमलेशकंवर पत्नि अमरसिंह हिस्सा- 167/109805 जाति- राजपुत सा. इन्दोखा खातेदार
5. कमलादेवी पत्नि सांवरमल हिस्सा- 5424/109805 जाति- मेघवंशी सा. लालास खातेदार
6. किरणकंवर पुत्र बजरंगसिंह हिस्सा- 558/21961 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
7. गुलेशरखां पुत्र नूरमोहमदखां हिस्सा- 7281/109805 जाति- कायमखानी सा. कुचामनसिटी खातेदार
8. गोपाल पुत्र सुवाराम हिस्सा- 63/219610 जाति- रेगर सा. कुचामनसिटी खातेदार
9. गोपाल पुत्र सेवा हिस्सा- 2385/43922 जाति- [illegible]
राहिन हिस्सा-3407/109805 (खसरा सं- 490/195, 493/197, 494/1[illegible]96/197, 497/195 बिना रहन) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामनसिटी
10. गोविन्दराम पुत्र पुराराम हिस्सा- 809/219[illegible]
11. चान्दकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह हिस्सा- 167/21[illegible]
12. जयराम पुत्र सेवा हिस्सा- 2385/43922 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
राहिन हिस्सा-558/21961 (खसरा सं- 490/195, 493/197, 494/198, 495/198, 496/197, 497/195 बिना रहन) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कुचामनसिटी
13. जयराम पुत्र सुवाराम हिस्सा- 63/219610 जाति- रेगर सा. कुचामनसिटी खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम का नाम :- दीपपुरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- दीपपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- पांचवा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 84
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 79

14. देवाराम पुत्र जीवणराम हिस्सा- 809/219610 जाति- जाट सा.लाम्बीडेरी इण्डाली खातेदार
15. दिलीपसिंह पुत्र बजरंगसिंह हिस्सा- 558/21961 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
16. नटवरसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 42/109805 जाति- राजपुत सा. दुजोद खातेदार
17. नरेन्द्रकुमार पुत्र जीवणराम हिस्सा- 915/43922 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
18. नरपतसिंह पुत्र बजरंगसिंह हिस्सा- 558/21961 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
19. नागरसिंह पुत्र बहादुरसिंह हिस्सा- 42/109805 जाति- राजपुत सा. दुजोद खातेदार
20. पुखराजसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 2554/109805 जाति- राजपुत सा. दूजोद खातेदार
21. पन्नीदेवी पत्नि जयराम हिस्सा- 327/43922 जाति- जाट सा.नावां खातेदार
22. प्रभातप्रकाशसिंह पुत्र हनुवंतसिंह हिस्सा- 26697/219610 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
23. प्रमिला राठोड पत्नि लोकेन्द्रसिंह हिस्सा- 11284/109805 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
24. प्रसान्तकुमार पुत्र अन्नालाल हिस्सा- 915/21961 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
25. बिजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 4397/219610 जाति- राजपुत सा. दूजोद खातेदार
26. ममतादेवी पत्नि बनवारीलाल हिस्सा- 146/109805 जाति- कुमावत सा. चारणवास खातेदार
27. महेन्द्रपालसिंह पुत्र भरतसिंह हिस्सा- 5233/219610 जाति- राजपुत सा. पालवास जिला सीकर खातेदार
28. महावीर पुत्र गजाधर हिस्सा- 2385/43922 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
29. महावीर पुत्र गजाधर हिस्सा- 63/219610 जाति- रेगर सा. कुचामनसिटी खातेदार
30. रामदेवसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा- 167/219610 जाति- राजपुत सा. दलेलपुरा खातेदार
31. विजयकुमार पुत्र अन्नालाल हिस्सा- 915/21961 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
32. सदाकंवर पत्नि रामसिंह हिस्सा- 167/219610 जाति- राजपुत सा. राङ की ढाणी तह. दातारामगढ खातेदार
33. सन्तोषकंवर पत्नि सज्जनसिंह हिस्सा- 167/219610 जाति- राजपुत सा. प्रतापुरा खातेदार
34. सन्तोषकंवर पुत्री बजरंगसिंह हिस्सा- 558/21961 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
35. सुरेन्द्रकुमार पुत्र जीवणराम हिस्सा- 915/43922 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार
36. सोनकंवर पत्नि बजरंगसिंह हिस्सा- 558/21961 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
37. हणमान पुत्र सुवाराम हिस्सा- 63/219610 जाति- रेगर सा. कुचामनसिटी खातेदार
38. हनुमानप्रसाद पुत्र सेवा हिस्सा- 2385/43922 जाति- रेगर सा. कुचामन खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
190	3.2500	बारानी 2	3.2500	13.00		स्वीकृत नामांतरकरण : 735 24/06/2021 रहनमुक्त	
191	0.5400	बारानी 2	0.5400	2.16			
192	0.0100	गै.मु.कुँआ	0.0100				
193	5.0800	बारानी 2	5.0800	20.32			
194	0.0500	गै.मु.ढाणी	0.0500				
195	3.2542	बारानी 2	3.2542	13.02			
196	0.0100	गै.मु.कुँआ	0.0100				
197	3.4200	बारानी 2	3.4200	13.68			
198	3.2900	बारानी 2	3.2900	13.16			

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

	ग्राम का नाम :- दीपपुरा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
	पटवार हल्का :- दीपपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
	भू.अभि.नि. :- पांचवा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
	तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 84
	जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 79

44	0.2300	बारानी 2	0.2300	0.92		
47	0.5500	बारानी 2	0.5500	2.20		
490/195	0.0768	बारानी 2	0.0768	0.31		
493/197	0.8000	बारानी 2	0.8000	3.20		
494/198	1.0100	बारानी 2	1.0100	4.04		
495/198	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300			
496/197	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300			
497/195	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300			
कुल खसरे - 17	21.9610		21.9610	86.0100		

प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा पानी का आर.ओ.प्लांट लगाकर निर्माण कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 44, 47, 490/195, 493/197, 494/198, 495/198, 496/197, 497/195 कुल रकबा 21.9610 हैक्टर में प्रतिवादी की अन्य सह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से 327/43922 हिस्सा भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनांक 11/12/2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:29 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी • कुचामन सिटी (नागौर) •

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 82/2019 **{RCMS 2019/00165}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. पन्नी देवी पत्नी जयराम जाट निवासी नावां तहसील नावां जिला नागौर

दावा :– **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 44, 47, 490/195, 493/197, 494/198, 495/198, 496/197, 497/195 कुल रकबा 21.9610 हैक्टर में प्रतिवादी की अन्य सह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से 327/43922 हिस्सा भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 17.10.2021 को जारी की गई।

दस्तखत..........
ओहदा.......... (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:29 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए